रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062022-236176
CG-DL-E-01062022-236176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2022/ज्येष्ठ 10, 1944
No. 384]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2022/JYAISTHA 10, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2022

सा.का.नि. 405(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथापेक्षित ढंग से इससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों की जानकारी के लिए, एतद्वारा निम्नलिखित मसौदा नियमों को प्रकाशित करने का प्रस्ताव करती है; और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा। प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्र सरकार के विचारार्थ लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल पते: mscb.cpcb@nic.in या sonu.singh@gov.in पर भेज सकता है।

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

   (1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 कहा जाएगा।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के बाद प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची 1 में, क्रम संख्या 115 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड	मानक	
(1)	(2)	(3)	(4)	
116	कैल्साइंड पेट्रोलियम कोक (सीपीयू) इकाईयां		उत्सर्जन सांद्रता (mg/Nm3)	उत्सर्जन भार (सीपीसी की टन प्रति किग्रा)
		PM	50	0.23
		SO_2	150	0.7

टिप्पणी:

- स्टैक की न्यूनतम ऊँचाई (मीटर में) निम्न सूत्र के अनुसार होगी:

  H= 14Q0.3 (जहां Q, किलोग्राम/घण्टा में SO_2 उत्सर्जन दर है) या

  H= 74Q0.27 (जहां Q, टन/घण्टा में PM उत्सर्जन दर), जो भी अधिक हो, है।

  यद्यपि, किसी भी मामले में स्टैक की ऊँचाई 30 मीटर से कम नहीं होगी।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी पेट्रोलियम कोक कैल्साइनर PM तथा SO_2 के लिए सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) को स्थापित करेंगे। बेहतर प्रक्रिया नियंत्रण के लिए सीईएमएस द्वारा CO की निगरानी और प्रत्येक तिमाही में एक VOC परीक्षण किया जाएगा।

[फा.सं. क्यू-15017/10/2019-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

नोट : मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 19 नवंबर, 1986 के का.आ. 844 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक 22 फरवरी, 2022 के सा.का.आ. 1431(अ) की अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2022

G.S.R. 405(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following draft rules, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public. Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address: mscb.cpcb@nic.in and sonu.singh@gov.in.

1. **Short title and commencement.**

(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force after one year from the date of publication of final notification in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, after the serial number 115 and the entries relating thereto, the following entry shall be inserted, namely: -

S. No.	Industry	Parameter	Standards	
(1)	(2)	(3)	(4)	
116	Calcined Petroleum Coke (CPU) units		Emission Concentration (mg/Nm3)	Emission Load (kg per tonne of CPC)
		PM	50	0.23
		SO2	150	0.7

Note:

- Minimum stack height (in meter) shall be as per the formula:

  H=14Q0.3 (where Q is SO2 emission rate in kg/hr) or

  H=74Q0.27 (where Q is PM emission rate in tonne/hr) whichever is more.

  However, in no case the stack height shall be less than 30 m
- All petroleum coke calciners shall install continuous emission monitoring system (CEMS) for PM and SO_2, as per CPCB's guidelines. CO monitoring by CEMS and VOC testing once every quarter shall be conducted to have better process control.

[F. No Q-15017/10/2019-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 143(E), dated the 22nd February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.06.01 12:22:02 +05'30'